



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022022-233053
CG-DL-E-01022022-233053

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81]
No. 81]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/ MAGHA 12, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 1 फरवरी, 2022

संख्या 07/2022-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 81(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 82/2017 सीमाशुल्क तारीख 27 अक्टूबर, 2017 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, उपखंड (i) में सा.का.नि. 1341 (अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

- (i) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“3क.	5111 11	सभी माल	10% या 115 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
3ख.	5111 19	सभी माल	10% या 125 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
3ग.	5111 20	सभी माल	10% या 65 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
3घ.	5111 30	सभी माल	10% या 65 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
3ङ.	5111 90	सभी माल	10% या 75 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
3च.	5112 11	सभी माल	10% या 105 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो

3छ.	5112 19	सभी माल	10% या 130 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
3ज.	5112 20	सभी माल	10% या 70 रुपए, जो भी उच्चतर हो
3झ.	5112 30	सभी माल	10% या 90 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
3ञ.	5112 90	सभी माल	10% या 115 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो”;

(ii) क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

(1)	(2)	(3)	(4)
“6क.	5208 39	सभी माल	10% या 150 रुपए प्रति किलोग्राम, जो भी उच्चतर हो”;

(iii) क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“7क.	5208 42	सभी माल	10% या 22 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो”;

(iv) क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“9.	5208 49	सभी माल	10% या 143 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो”;

(v) क्रम संख्या 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“10क.	5208 52	सभी माल	10% या 14 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
10ख.	5208 59	सभी माल	10% या 30 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो”;

(vi) क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“11क.	5209 31, 5209 32 या 5209 39	सभी माल	10% या 150 रुपए प्रति कि.ग्र., जो भी उच्चतर हो
11ख.	5209 41	सभी माल	10% या 30 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो”;

(vii) क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“12क.	5209 43	सभी माल	10% या 28 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
12ख.	5209 49	सभी माल	10% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो
12ग.	5209 51 या 5209 52	सभी माल	10% या 24 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
12घ.	5209 59	सभी माल	10% या रुपए 30 प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो”;

(viii) क्रम संख्या 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“13क.	5210 39	सभी माल	10% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो”;

- (ix) क्रम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"15.	5210 49	सभी माल	10% या 132 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो";

- (x) क्रम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"15क.	5210 51 या 5210 59	सभी माल	10% या 12 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो";

- (xi) क्रम संख्या 16 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"16क.	5211 31, 5211 32 या 5211 39	सभी माल	10% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो
16ख.	5211 41	सभी माल	10% या रुपए 35 प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो";

- (xii) क्रम संख्या 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"17क.	5211 43	सभी माल	10% या 32 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
17ख.	5211 49	सभी माल	10% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो
17ग.	5211 51, 5211 52 या 5211 59	सभी माल	10% या रुपए 12 प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो";

- (xiii) क्रम संख्या 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"28क.	5407 42	सभी माल	20% या रुपए 36 प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
28ख.	5407 43 00	सभी माल	20% या रुपए 40 प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
28ग.	5407 44 (टैरिफ मद के सिवाय 5407 44 20)	सभी माल	20% या रुपए 35 प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो";

- (xiv) क्रम संख्यांक 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

- (xv) क्रम संख्यांक 30 के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर "सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी;

- (xvi) क्रम संख्या 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"31ख.	5407 52	सभी माल	20% या 23 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
31ग.	5407 53 00	सभी माल	20% या 30 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो";

- (xvii) क्रम संख्यांक 33 के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर "सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी;

- (xviii) क्रम संख्यांक 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"33क.	5407 69 00	सभी माल	20% या रुपए 36 प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो

(xix) क्रम संख्यांक 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"35क.	5407 73 00	सभी माल	20% या रुपए 36 प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
35ख.	5407 74 00	सभी माल	20% या रुपए 23 प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो";

(xx) क्रम संख्यांक 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"42क.	5407 82 (टैरिफ मद 5407 82 50 के सिवाय)	सभी माल	20% या रुपए 25 प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो";

(xxi) क्रम संख्या 43 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(xxii) क्रम संख्यांक 44 के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर "सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xxiii) क्रम संख्या 44 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टि रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"44क.	5407 83 00	सभी माल	20% या रुपए 40 प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
44ख.	5407 84 (टैरिफ मद 5407 84 50 के सिवाय)	सभी माल	20% या रुपए 23 प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो";

(xxiv) क्रम संख्यांक 45 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(xxv) क्रम संख्या 46 के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टि के सामने "सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xxvi) क्रम संख्यांक 47 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"47क.	5407 92 00	सभी माल	20% या 40 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
47ख.	5407 93 00	सभी माल	20% या 27 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
47ग.	5407 94 00	सभी माल	20% या 40 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो";

(xxvii) क्रम संख्यांक 49 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"49क.	5408 22	सभी माल	20% या 27 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
49ख.	5408 23 00	सभी माल	20% या रुपए 28 प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
49ग.	5408 24 (टैरिफ मद 5408 24 12, 5408 24 13, 5408 24 15, 5408 24 18 के सिवाय)	सभी माल	20% या रुपए 52 प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो";

(xxviii) क्रम संख्या 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(xxix) क्रम संख्या 51 के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर "सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xxx) क्रम संख्यांक 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"56क.	5512 19	सभी माल	20% या रुपए 25 प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
56ख.	5512 29	सभी माल	20% या रुपए 28 प्रति वर्गमीटर जो भी उच्चतर हो";

(xxxix) क्रम संख्या 57 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"57.	5512 99	सभी माल	20% या 54 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो";

(xxxixii) क्रम संख्यांक 59 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"59.	5513 21 00	सभी माल	20% या 107 रुपए कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो";

(xxxixiii) क्रम संख्यांक 59 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"59क.	5513 23 00	सभी माल	20% या 125 रुपए प्रति कि.ग्रा. रुपए 25 या प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो";

(xxxixiv) क्रम संख्यांक 61 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"61क.	5513 39 00	सभी माल	20% या 125 रुपए प्रति कि.ग्रा. या 30 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
61ख.	5513 41 00	सभी माल	20% या 15 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो";

(xxxixv) क्रम संख्यांक 63 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"63क.	5514 21 00	सभी माल	20% या 100 रुपए प्रति कि.ग्रा., या 30 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो";

(xxxixvi) क्रम संख्यांक 64 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"64.	5514 22 00	सभी माल	20% या 100 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो";

(xxxixvii) क्रम संख्यांक 65 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"65.	5514 23 00	सभी माल	20% या 114 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो";

(xxxixviii) क्रम संख्यांक 66 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"66.	5514 29 00	सभी माल	20% या रुपए 121 प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो";

(xxxixix) क्रम संख्यांक 66 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"66क.	5514 30 11	सभी माल	20% या 45 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो
66ख.	5514 30 12	सभी माल	20% या 26 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो";

(xi) क्रम संख्यांक 72 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"72.	5514 49 00	सभी माल	20% या रुपए 114 प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो";

(xlii) क्रम संख्यांक 76 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"76क.	5515 21	सभी माल	20% या 55 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो";

(xlii) क्रम संख्यांक 83 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"83क.	5515 91	सभी माल	20% या 40 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो";

(xliii) क्रम संख्यांक 89 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"89क.	5516 22 00 या 5516 23 00	सभी माल	20% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो";

(xliv) क्रम संख्या 122 के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर "सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xlv) क्रम संख्यांक 123 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"123क.	5801 22	सभी माल	10% या रुपए 70 प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो";

(xlvi) क्रम संख्या 124 के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर "सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xlvii) क्रम संख्यांक 124 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"124क.	5801 26 00	सभी माल	10% या 180 रुपए प्रति वर्गमीटर, जो भी उच्चतर हो";

(xlviii) क्रम संख्या 126 के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर "सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xlix) क्रम संख्या 128 के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर "सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(i) क्रम संख्या 130 के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर "सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) क्रम संख्या 131 के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर "सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) क्रम संख्या 135 के सामने स्तंभ (3) में प्रविष्टि के स्थान पर "सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iiii) क्रम संख्यांक 138 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"138क.	5802 30 00	सभी माल	10% या 150 रुपए प्रति कि.ग्रा., जो भी उच्चतर हो";

(liv) क्रम संख्या 157 के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर "सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(lv) क्रम संख्यांक 170 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"170.	6101, 6102 या 6103	सभी माल	20%";

- (lvi) क्रम संख्याक 171 से 177क और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- (lvii) क्रम संख्या 178 के सामने स्तंभ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर “6104 13 00, 6104 19, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00 या 6104 39” प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (lviii) क्रम संख्या 179, 180 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (lix) क्रम संख्या 187 के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “20%” प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (lx) क्रम सं. 213ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“213ग.	6201 30, 6201 40 या 6201 90	सभी माल	20%”;

- (lxi) क्रम संख्याक 213घ, 213ड, 213च, 213छ, 213ज और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (lxii) क्रम सं. 220ग और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“220ग.	6202 30, 6202 40 या 6202 90	सभी माल	20%”;

- (lxiii) क्रम संख्याक 220घ, 220ड., 220च, 220छ, 220ज और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (lxiv) क्रम संख्याक 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 238, 239 और 240 के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “20%” प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (lxv) क्रम संख्याक 241 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“241.	6204 12 00 या 6204 13 00	सभी माल	20%”;

- (lxvi) क्रम संख्याक 242, 244, 245, 246, 247 और 256 के सामने स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर “20%” प्रविष्टि रखी जाएगी।

2. यह अधिसूचना तारीख 2 फरवरी, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/01/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 82/2017 सीमाशुल्क तारीख 27 अक्टूबर, 2017 सं. सा.का.नि. 1341(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 15/2021 सीमाशुल्क तारीख 1 फरवरी, 2021 द्वारा संशोधित की गई थी जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 73(अ), तारीख 1 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st February, 2022

No. 07/2022-Customs

G.S.R. 81(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 82/2017-Customs, dated the 27th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1341 (E), dated the 27th October, 2017, namely:

In the said notification, in the Table, -

- (i) after S.No. 3 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“3A.	5111 11	All goods	10% or Rs. 115 per sq. mtr., whichever is higher
3B.	5111 19	All goods	10% or Rs. 125 per sq. mtr., whichever is higher
3C.	5111 20	All goods	10% or Rs. 65 per sq. mtr., whichever is higher
3D.	5111 30	All goods	10% or Rs. 65 per sq. mtr., whichever is higher
3E.	5111 90	All goods	10% or Rs. 75 per sq. mtr., whichever is higher
3F.	5112 11	All goods	10% or Rs. 105 per sq. mtr., whichever is higher
3G.	5112 19	All goods	10% or Rs. 130 per sq. mtr., whichever is higher
3H.	5112 20	All goods	10% or Rs. 70 per sq. mtr., whichever is higher
3I.	5112 30	All goods	10% or Rs. 90 per sq. mtr., whichever is higher
3J.	5112 90	All goods	10% or Rs. 115 per sq. mtr., whichever is higher”;

- (ii) after S.No. 6 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“6A.	5208 39	All goods	10% or Rs. 150 per kg., whichever is higher”;

- (iii) after S.No. 7 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“7A.	5208 42	All goods	10% or Rs. 22 per sq. mtr., whichever is higher”;

- (iv) for S.No. 9 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“9.	5208 49	All goods	10% or Rs. 143 per kg., whichever is higher”;

- (v) after S.No. 10 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“10A.	5208 52	All goods	10% or Rs. 14 per sq. mtr., whichever is higher
10B.	5208 59	All goods	10% or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is higher”;

- (vi) after S.No. 11 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“11A.	5209 31, 5209 32 or 5209 39	All goods	10% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
11B.	5209 41	All goods	10% or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is higher”;

(vii) after S.No. 12 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"12A.	5209 43	All goods	10% or Rs. 28 per sq. mtr., whichever is higher
12B.	5209 49	All goods	10% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
12C.	5209 51 or 5209 52	All goods	10% or Rs. 24 per sq. mtr., whichever is higher
12D.	5209 59	All goods	10% or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is higher";

(viii) after S.No. 13 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"13A.	5210 39	All goods	10% or Rs. 150 per kg., whichever is higher";

(ix) for S.No. 15 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"15.	5210 49	All goods	10% or Rs. 132 per kg., whichever is higher";

(x) after S.No. 15 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"15A.	5210 51 or 5210 59	All goods	10% or Rs. 12 per sq. mtr., whichever is higher";

(xi) after S.No. 16 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"16A.	5211 31, 5211 32 or 5211 39	All goods	10% or Rs. 150 per kg., whichever is higher
16B.	5211 41	All goods	10% or Rs. 35 per sq. mtr., whichever is higher";

(xii) after S.No. 17 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"17A.	5211 43	All goods	10% or Rs. 32 per sq. mtr., whichever is higher
17B.	5211 49	All goods	10% or Rs. 150 per Kg., whichever is higher
17C.	5211 51, 5211 52 or 5211 59	All goods	10% or Rs. 12 per sq. mtr., whichever is higher";

(xiii) after S.No. 28 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"28A.	5407 42	All goods	20% or Rs. 36 per sq. mtr., whichever is higher
28B.	5407 43 00	All goods	20% or Rs. 40 per sq. mtr., whichever is higher
28C.	5407 44 (except tariff item 5407 44 20)	All goods	20% or Rs. 35 per sq. mtr., whichever is higher";

(xiv) S.No. 29 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xv) against S.No. 30, in column (3), for the entry, the entry "All goods" shall be substituted;

(xvi) after S.No. 31 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"31B.	5407 52	All goods	20% or Rs. 23 per sq. mtr., whichever is higher
31C.	5407 53 00	All goods	20% or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is higher";

(xvii) against S.No. 33, in column (3), for the entry, the entry "All goods" shall be substituted;

(xviii) after S.No. 33 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“33A.	5407 69 00	All goods	20% or Rs. 36 per sq. mtr., whichever is higher”;

(xix) after S.No. 35 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“35A.	5407 73 00	All goods	20% or Rs. 36 per sq. mtr., whichever is higher
35B.	5407 74 00	All goods	20% or Rs. 23 per sq. mtr., whichever is higher”;

(xx) after S.No. 42 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“42A.	5407 82 (except tariff item 5407 82 50)	All goods	20% or Rs. 25 per sq. mtr., whichever is higher”;

(xxi) S.No. 43 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xxii) against S.No. 44, in column (3), for the entry, the entry “All goods” shall be substituted;

(xxiii) after S.No. 44 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“44A.	5407 83 00	All goods	20% or Rs. 40 per sq. mtr., whichever is higher
44B.	5407 84 (except tariff item 5407 84 50)	All goods	20% or Rs. 23 per sq. mtr., whichever is higher”;

(xxiv) S.No. 45 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xxv) against S.No. 46, in column (3), for the entry, the entry “All goods” shall be substituted;

(xxvi) after S.No. 47 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“47A.	5407 92 00	All goods	20% or Rs. 40 per sq. mtr., whichever is higher
47B.	5407 93 00	All goods	20% or Rs. 27 per sq. mtr., whichever is higher
47C.	5407 94 00	All goods	20% or Rs. 40 per sq. mtr., whichever is higher”;

(xxvii) after S.No. 49 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“49A.	5408 22	All goods	20% or Rs. 27 per sq. mtr., whichever is higher
49B.	5408 23 00	All goods	20% or Rs. 28 per sq. mtr., whichever is higher
49C.	5408 24 (except tariff items 5408 24 12, 5408 24 13, 5408 24 15, 5408 24 18)	All goods	20% or Rs. 52 per sq. mtr., whichever is higher”;

(xxviii) S.No. 50 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xxix) against S.No. 51, in column (3), for the entry, the entry “All goods” shall be substituted;

(xxx) after S.No. 56 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“56A.	5512 19	All goods	20% or Rs. 25 per sq. mtr., whichever is higher
56B.	5512 29	All goods	20% or Rs. 28 per sq. mtr., whichever is higher”;

(xxxi) for S.No. 57 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“57.	5512 99	All goods	20% or Rs. 54 per kg., whichever is higher”;

(xxxii) for S.No. 59 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"59.	5513 21 00	All goods	20% or Rs. 107 per kg., whichever is higher";

(xxxiii) after S.No. 59 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"59A.	5513 23 00	All goods	20% or Rs. 125 per kg. or Rs. 25 per sq. mtr., whichever is highest";

(xxxiv) after S.No. 61 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"61A.	5513 39 00	All goods	20% or Rs. 125 per kg. or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is highest
61B.	5513 41 00	All goods	20% or Rs. 15 per sq. mtr., whichever is higher";

(xxxv) after S.No. 63 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"63A.	5514 21 00	All goods	20% or Rs. 100 per kg. or Rs. 30 per sq. mtr., whichever is highest";

(xxxvi) for S.No. 64 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"64.	5514 22 00	All goods	20% or Rs. 100 per kg., whichever is higher";

(xxxvii) for S.No. 65 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"65.	5514 23 00	All goods	20% or Rs. 114 per kg., whichever is higher";

(xxxviii) for S.No. 66 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"66.	5514 29 00	All goods	20% or Rs. 121 per Kg., whichever is higher";

(xxxix) after S.No. 66 and the entries relating thereto, the following S.Nos. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"66A.	5514 30 11	All goods	20% or Rs. 45 per sq. mtr., whichever is higher
66B.	5514 30 12	All goods	20% or Rs. 26 per sq. mtr., whichever is higher";

(xl) for S.No. 72 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"72.	5514 49 00	All goods	20% or Rs. 114 per kg., whichever is higher";

(xli) after S.No. 76 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"76A.	5515 21	All goods	20% or Rs. 55 per sq. mtr., whichever is higher";

(xlii) after S.No. 83 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"83A.	5515 91	All goods	20% or Rs. 40 per sq. mtr., whichever is higher";

(xliii) after S.No. 89 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"89A.	5516 22 00 or 5516 23 00	All goods	20% or Rs. 150 per kg., whichever is higher";

(xliv) against S.No. 122, in column (3), for the entry, the entry "All goods" shall be substituted;

(xlv) after S.No. 123 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"123A.	5801 22	All goods	10% or Rs. 70 per sq. mtr., whichever is higher";

(xlvi) against S.No. 124, in column (3), for the entry, the entry "All goods" shall be substituted;

(xlvii) after S.No. 124 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"124A.	5801 26 00	All goods	10% or Rs. 180 per sq. mtr., whichever is higher";

(xlviii) against S.No. 126, in column (3), for the entry, the entry "All goods" shall be substituted;

(xlix) against S.No. 128, in column (3), for the entry, the entry "All goods" shall be substituted;

(l) against S.No. 130, in column (3), for the entry, the entry "All goods" shall be substituted;

(li) against S.No. 131, in column (3), for the entry, the entry "All goods" shall be substituted;

(lii) against S.No. 135, in column (3), for the entry, the entry "All goods" shall be substituted;

(liii) after S.No. 138 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"138A.	5802 30 00	All goods	10% or Rs. 150 per kg., whichever is higher";

(liv) against S.No. 157, in column (4), for the entry, the entry "20%" shall be substituted;

(lv) for S.No. 170 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"170.	6101, 6102 or 6103	All goods	20%";

(lvi) S.Nos. 171 to 177A and the entries relating thereto shall be omitted;

(lvii) against S.No. 178, in column (2), for the entry, the entry "6104 13 00, 6104 19, 6104 22 00, 6104 23 00, 6104 29, 6104 31 00, 6104 32 00, 6104 33 00 or 6104 39" shall be substituted;

(lviii) S.Nos. 179, 180 and the entries relating thereto shall be omitted;

(lix) against S.No. 187, in column (4), for the entry, the entry "20%" shall be substituted;

(lx) for S.No. 213C and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"213C.	6201 30, 6201 40 or 6201 90	All goods	20%";

(lxi) S.Nos. 213D, 213E, 213F, 213G, 213H and the entries relating thereto shall be omitted;

(lxii) for S.No. 220C and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"220C.	6202 30, 6202 40 or 6202 90	All goods	20%";

(lxiii) S.Nos. 220D, 220E, 220F, 220G, 220H and the entries relating thereto shall be omitted;

(lxiv) against S.Nos. 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 238, 239 and 240, in column (4), for the entry, the entry "20%" shall be substituted;

(lxv) for S.No. 241 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"241.	6204 12 00 or 6204 13 00	All goods	20%";

(lxvi) against S.Nos. 242, 244, 245, 246, 247 and 256, in column (4), for the entry, the entry "20%" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 2nd day of February, 2022.

[F.No.334/01/2022 -TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note : The principal notification No.82/2017-Customs, dated the 27th October, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1341(E), dated the 27th October, 2017, and was last amended *vide* notification No. 15/2021 –Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 73(E), dated the 1st February, 2021.